झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(Govt. of Jharkhand Undertaking)
Corporation Identification No.-U45201JH2015SGC003325
Regd. Office:- Building Construction Department, Govt. of Jharkhand, Project Building, P.O.- Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand
Phone No.:- 0651-2446257/2446258/2446259, e-mail:-jsbccljharkhand@gmail.com

का0आ0सं0 : भ0नि0नि0–64 / 18.......1884 (नि) राँची, दिनांक– 27/7/22

कार्यालय आदेश – 41

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का गठन सरकार की भवन निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण वृहत संरचनाओं के गुणवत्तापूर्ण ससमय निर्माण हेतु किया गया है। निर्माण योजनओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निगम के निदेशक मंडल की दिनांक 13.07.2018 को आहुत सांतवी बैठक की कार्यवाही के कंडिका 7 / 10 द्वारा निर्माण सामग्रियों की जाँच हेतु एजेंसी जिनकी जाँच प्रयोगशाला झारखण्ड में कार्यरत है, को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। इसके आलोक में निगम के द्वारा चार जाँच प्रयोगशालाओं को निगम के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संबंधी जाँच हेतु 02 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इस अवधि के बीत जाने के उपरांत पुनः ऐसी एजेंसीयों को सूचीबद्ध करने हेतु Notice Inviting Proposal No. 01/2021-22 प्रकाशित की गई जिसमें चार एजेंसी द्वारा भाग लिया गया ;-

ok (i) Elite Testing Lab Pvt. Ltd (ii) Om Research and Testing Laboratory (iii) Sun Tech, Ranchi तथा (iv) Technology Solution Consultants LLP, Ranchi.

Request for Empanelment Documents की कंडिका 4.8 के अनुसार यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवेदक ऐजेंसी की जाँच प्रयोगशाला में विभिन्न गुण नियत्रंण जाँच करने हेतु आवश्यक सरंचना उपलब्ध है, निगम के द्वारा अभियंताओं की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति के द्वारा प्रयोगशालाओं का भौतिक सत्यापन कर एक रिर्पोट समर्पित किया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर निविदा समिति की दिनांक 28.03.2022 की बैठक में चार परामर्शियों को योग्य घोषित करते हुए निगम द्वारा पूर्व से निर्धारित दर पर गुण नियंत्रण संबधी जाँच करने हेतु सूचीबद्ध करने की अनुशंसा की गई है।

झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवता की जाँच करने हेतु वैसे परामर्शी संस्थाओं, जिनके पास झारखण्ड राज्य में गुण नियंत्रण जाँच प्रयोगशाला है, को निम्न वर्णित शर्तों के आधार पर सूचीबद्ध करती है:–

1. यह पैनल कार्यालय आदेश निर्गत की तिथि से दो वर्ष तक प्रभावी होगा। सूचीबद्ध करने की अवधि को संतोषप्रद सेवा की शर्त पर अधिकतम अगले तीन वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है।
2. भवन निर्माण संबंधी गुण नियंत्रण जाँच केवल सूचीबद्ध परामर्शी के द्वारा कराए जाने हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम की बाध्यता नहीं रहेगी। विशेष परिस्थिति में निगम के द्वारा पैनल में सूचीबद्ध परामर्शी से भिन्न अन्य ख्याति प्राप्त संस्थानों में से किसी को किसी परियोजना के निर्माण कार्य की गुण नियंत्रण जाँच हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।
3. सामान्य तौर पर जिस परियोजना कार्यान्वयन इकाई के द्वारा निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण किया जा रहा है, उस इकाई के प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता सूचीबद्ध परामर्शी संस्थाओं में से किसी से वैसे गुण नियंत्रण जाँच करा सकते हैं, जिनके हेतु वह परामर्शी संस्था सूचीबद्ध है।
4. परामर्शी संस्था द्वारा गुण नियंत्रण जाँचफल के साथ एक शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि सभी जाँच भारतीय मानक संस्थान के द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार किए गए हैं। जाँच फल में स्पष्ट तौर पर जाँच में उत्तीर्ण घोषित किए जाने हेतु भारतीय मानक संस्था के द्वारा निर्धारित आवश्यक मापदण्ड अंकित होना चाहिए। साथ ही जाँच फल के अंत में निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि जाँच हेतु लाए गए सेंपल गुणवत्ता के मापदण्ड पर संतोषजनक पाए गए हैं या नहीं।
5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची नीचे दी गई विवरणी के अनुसार निगम के कार्यालय आदेश संख्या 51 दिनांक 18.07.2019 में वर्णित पूर्व निर्धारित दर पर जाँच हेतु परामर्शियों को सूचीबद्ध करती है :–

Sl. No.	Name of Empaneled Consultant	Description of the Test to be conducted as per the Latest IS Code
1	Sun Tech	1. Cement (Physical tests) 2. Cement (Chemical tests) 3. Steel Reinforcement (Physical test) 4. Steel Reinforcement (Chemical test) 5. Fine Agreegate 6. Coarse Agreegate 7. Bricks 8. Concrete cube test 9. Soil sample test 10. Water quality test 11. Structural steel 12. Paver Block 13. Wood 14. Non destructive tests on concrete 15. Destructive test on concrete

2	Om Research and Testing Laboratory	1. Cement (Physical tests) 2. Cement (Chemical tests) 3. Steel Reinforcement (Physical test) 4. Steel Reinforcement (Chemical test) 5. Fine Agreegate 6. Bricks 7. Concrete cube test 8. Soil sample test 9. Water quality test 10. Structural steel 11. Paver Block 12. Wood 13. Non destructive tests on concrete 14. Destructive test on concrete
3	Technology Solution Consultants	1. Cement (Physical tests) 2. Cement (Chemical tests) 3. Fine Agreegate 4. Coarse Agreegate 5. Bricks 6. Concrete cube test 7. Paver Block 8. Non destructive tests on concrete 9. Destructive test on concrete
4	Elite Testing Lab Pvt. Ltd.	1. Bricks 2. Concrete cube tests 3. Water quality test 4. Non destructive test on concrete 5. Destructive test on concrete

6. आम तौर पर परामर्शी द्वारा किए गए गुण नियंत्रण जाँचों के जाँच शुल्क का भुगतान निर्माण कार्य के संवेदक के द्वारा किया जाएगा। परंतु विशेष परिस्थिति में अगर निगम के पदाधिकारी किसी विशेष जाँच का आदेश देते हैं तो, उस जाँच के जाँच शुल्क का भुगतान निगम के द्वारा किया जाएगा।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

कार्यपालक निदेशक

ज्ञापांक 1889 (नि) दिनांक 27/7/22

प्रतिलिपि : – प्रबंधक सह कार्यपालक अभियंता, पी0आई0यू0 राँची / खूँटी / लोहरदगा / गुमला / सिमडेगा / हजारीबाग / रामगढ़ / चतरा / कोडरमा / गिरिडीह / धनबाद / बोकारो / पलामू / गढ़वा / लातेहार / देवघर / दुमका / साहेबगंज / जामताड़ा / पाकुड़ / गोड्डा / जमशेदपुर / चाईबासा / सरायकेला, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक